5

5.1 ग्रामीण आधारभूत संरचना का वित्तपोषण
5.2 ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि
5.3 ग्रामीण आधारभूत संरचना संवर्धन निधि
5.4 दीर्घावधि सिंचाई निधि
5.5 सूक्ष्म सिंचाई निधि
5.6 नाबार्ड आधारभूत संरचना विकास सहायता
5.7 फ़सलोपरांत आधारभूत संरचना
5.8 अन्य आधारभूत संरचना पहलें
5.9 तीव्र गति से विकास हेतु आधारभूत संरचना का वित्तपोषण

संतुलित विकास के लिए ग्रामीण आधारभूत संरचना का वित्तपोषण

विश्व की पाँचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में, भारत, अपनी आजादी के 75वें वर्ष में, एक प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में उभर रहा है, जो संधारणीय उत्पादन और आय सृजन को बढ़ावा देने वाली सुदृढ़ आधारभूत संरचना के माध्यम से त्वरित विकास के अपने विजन को तेज़ी से साकार कर रहा है.[1] आर्थिक विकास पर आधारभूत संरचना के विकास के गुणनकारी प्रभाव को तत्परता से स्वीकार करते हुए, भारत सरकार ने 2020 और 2025 के बीच ₹111 लाख करोड़ के अनुमानित निवेश वाली राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी) की परिकल्पना की है. इस कार्य को समय पर पूरा करने और इससे अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने के लिए इसकी उच्चतम स्तर पर निगरानी की जा रही है. एनआईपी देश में आधारभूत संरचना के विकास का एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है.

5.1 ग्रामीण आधारभूत संरचना का वित्तपोषण

गरीबी उन्मूलन के साथ-साथ ग्रामीण और कृषि विकास को गति देने और इनके परिणामस्वरूप संतुलित आर्थिक विकास में ग्रामीण आधारभूत संरचना की उत्प्रेरक भूमिका होती है. नाबार्ड इस तथ्य से अवगत है और वर्तमान में ग्रामीण आधारभूत संरचना के वित्तपोषण में एक महत्वपूर्ण संस्था बनकर उभरा है. इस प्रयोजन हेतु नाबार्ड अपने संसाधनों के साथ-साथ भारत सरकार द्वारा सौंपी गई विभिन्न निधियों का उपयोग कर रहा है. 31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार, आधारभूत संरचना के वित्तपोषण के तहत संचयी मंजूरी ₹7.5लाख करोड़ और संवितरण ₹5.7 लाख करोड़ था. (चित्र 5.1)

चित्र 5.1: ग्रामीण भारत के लिए नाबार्ड द्वारा प्रबंधित आधारभूत संरचना निधियाँ - 31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार (₹ करोड़)

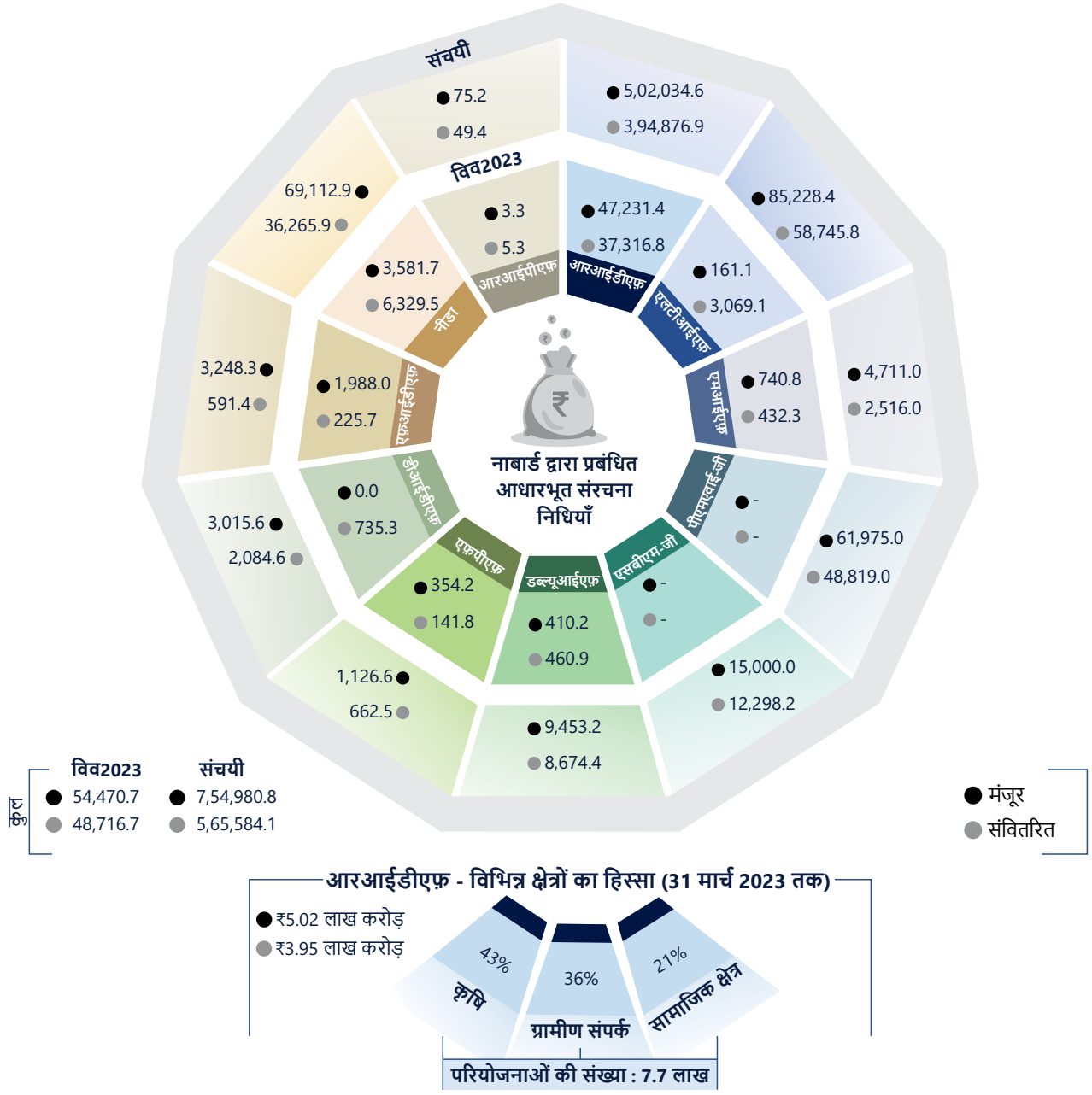

नोट: डीआईडीएफ़= डेयरी प्रसंस्करण और आधारभूत संरचना विकास निधि, एफ़आईडीएफ़= मत्स्यपालन और जलचर पालन आधारभूत संरचना विकास निधि, एफ़पीएफ़= खाद्य प्रसंस्करण निधि, एलटीआईएफ़= दीर्घावधि सिंचाई निधि, एमआईएफ= सूक्ष्म-सिंचाई निधि, नीडा= नाबार्ड आधारभूत संरचना विकास सहायता, पीएमएवाई-जी= प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, आरआईडीएफ़= ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि, आरआईपीएफ़ = ग्रामीण आधारभूत संरचना संवर्धन निधि, एसबीएम-जी= स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण, डब्ल्यूआईएफ़=भण्डारागार आधारभूत संरचना निधि.

चित्र 5.2: ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि के अंतर्गत निष्पादन - 31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार

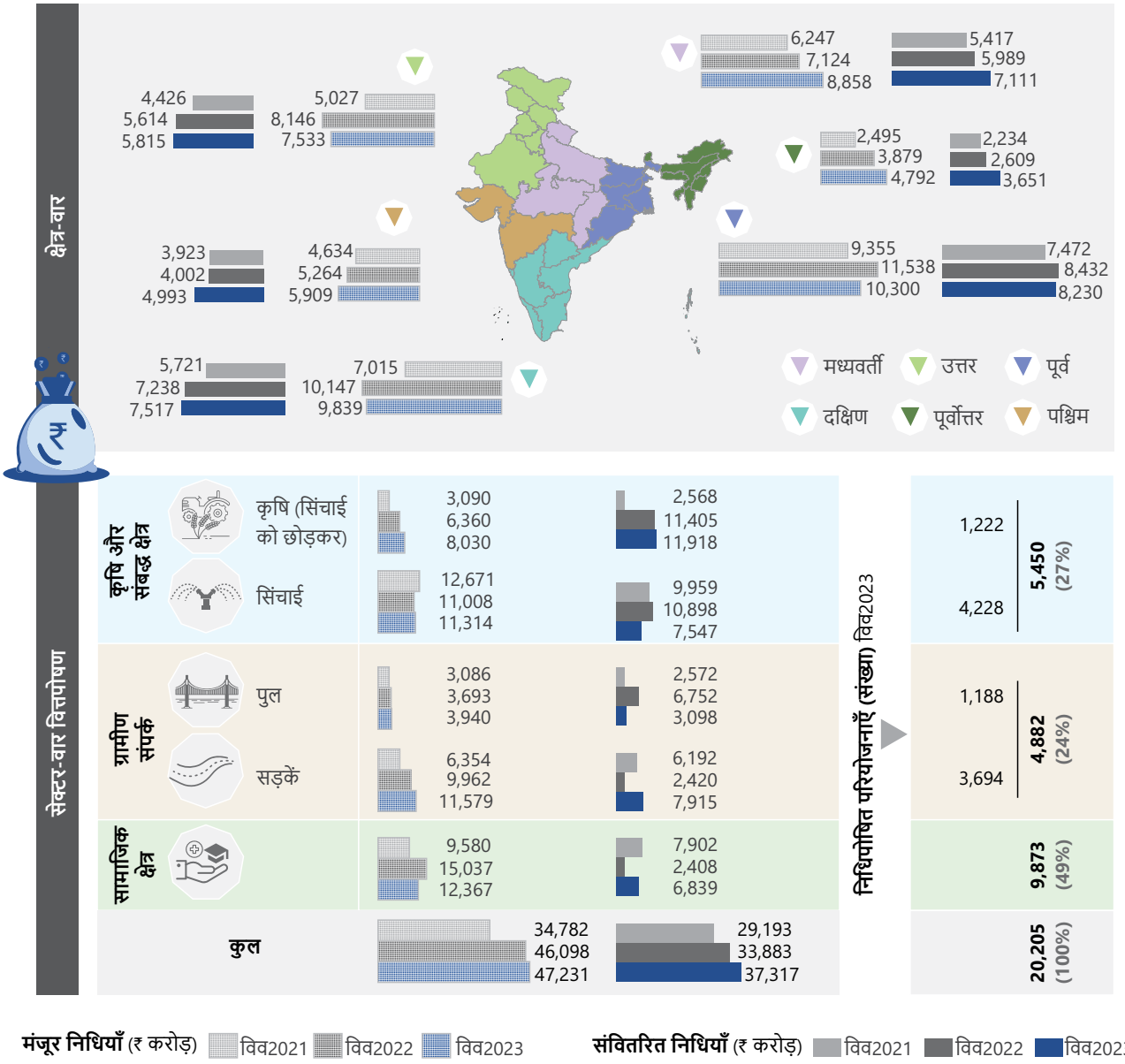

5.2 ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि

5.2.1 प्रवृत्तियाँ और पद्धतियाँ

वित्तीय वर्ष 1996 में, भारत सरकार ने अधूरी सिंचाई परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण वितरण (पीएसएल) में कमी की राशि से ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि (आरआईडीएफ़) का गठन किया था. पिछले 28 वर्षों में, इसके कार्यक्षेत्र का विस्तार कर इसमें ग्रामीण आधारभूत संरचना से संबंधित 39 गतिविधियों को शामिल किया गया है.

वित्तीय वर्ष 2023 (आरआईडीएफ़ खेप XXVIII) के दौरान, नाबार्ड को ₹39,527 करोड़ का आबंटन प्राप्त हुआ, जो वित्तीय वर्ष 2022 से 32.8% अधिक है. नाबार्ड ने वित्तीय वर्ष 2023 में ₹47,231 करोड़ की राशि मंजूर की जिसमें से 41% राशि कृषि और संबंधित परियोजनाओं के वित्तपोषण हेतु दी गई. यद्यपि, सभी परियोजनाओं में से 49% परियोजनाएँ सामाजिक क्षेत्र में थीं, तथापि, परियोजनाओं का मूल्य कम था, जो कुल मंजूर राशि का 26% था. यह संवितरण के रुझान के अनुरूप है. वित्तीय वर्ष 2021-वित्तीय वर्ष 2023 के दौरान कुल संवितरण में कृषि और सिंचाई से संबंधित परियोजनाओं का हिस्सा 53% था. इसके बाद ग्रामीण संपर्क (29%) और सामाजिक क्षेत्र की परियोजनाओं (18%) का स्थान था (चित्र 5.2).

5.2.2 उपलब्धियाँ >>परिणाम >>प्रभाव

बीते दशकों में आरआईडीएफ़ सहायता से न केवल भौतिक आधारभूत संरचना का निर्माण हुआ है बल्कि इसने ग्रामीण जीवन पर परिवर्तनकारी प्रभाव भी डाला है. (चित्र 5.3, शोकेस 5.1 और 5.2)

चित्र 5.3: 31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि के तहत उपलब्धियाँ और परिणाम

नोट: हेक्टे = हेक्टेयर, किमी. = किलोमीटर, मी. = मीटर

शोकेस 5.1: कॉफी बागान के माध्यम से स्थायी आजीविका का संवर्धन, नागालैंड

कॉफी की कटाई

अ. संधारणीय विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के साथ समगति

एसडीजी 8. सम्मानजनक रोजगार और आर्थिक विकास

एसडीजी 13. जलवायु परिवर्तन - गतिविधियाँ

एसडीजी 15. भूमि पारिस्थितिकी का संरक्षण

आ. संदर्भ

- 2014 में, भारतीय कॉफी बोर्ड और नागालैंड सरकार के भूमि संसाधन विभाग (एलआरडी) ने राज्य में कॉफी बागानों के पुनरुद्धार की शुरुआत की. एलआरडी के अनुसार, राज्य में 10 लाख हेक्टेयर भूमि में कॉफी की खेती करने की संभाव्यता है.
- वित्तीय वर्ष 2021 तक, नागालैंड में 9,832.2 हेक्टेयर में कॉफी उगाई जाती थी, जिसमें से 960 हेक्टेयर भूमि आरआईडीएफ़ की खेप XXIV के तहत है जिसके लिए ₹6.7 करोड़ का ऋण संवितरित किया गया है.

इ. चुनौतियों का समाधान

- चूँकि कॉफी का पौधा छाया में पनपता है, अत: इसकी खेती से वृक्ष-आवरण के संरक्षण को बढ़ावा मिलता है. साथ ही इसकी खेती झूम खेती को हतोत्साहित करती है, जिससे नागालैंड में जलवायु परिवर्तन अनुकूलन का संवर्धन होता है.
- कॉफी की खेती में तीव्र पहाड़ी ढलानों को काटा जाता है जिससे मृदा क्षरण कम होता है और उसके बहाव को रोका जा सकता है.
- इस पहल ने कॉफी उत्पादकों को रोजगार प्रदान किया है और उनके तकनीकी कौशल में सुधार किया है जिससे उत्पादकता बेहतर हुई है.

ई. परियोजना के घटक

- जमीन की तैयारी, गड्ढे तैयार करना, कृषि के विविध प्रकारों का तालमेल, खाद और बागान, आदि.

उ. उपलब्धियाँ >>परिणाम >>प्रभाव (अपेक्षित)

- क्षेत्र: 960 हेक्टेयर
- लाभान्वित ब्लॉक : 28
- लाभान्वित परिवार : 2,500
- आवर्ती रोजगार का सृजन: प्रति वर्ष 2,020 नौकरियाँ
- अनावर्ती रोजगार का सृजन: 3 लाख श्रम दिवस

शोकेस 5.2: बिहार में 'आहर-पाइन' प्रणाली का नवीकरण और पुनरुद्धार

पटना जिले के दानियावाँ खंड में सिगरियावाँ आहर-पाइन का जीर्णोद्धार।

- खेती योग्य कमान क्षेत्र: 251 हेक्टेयर
- लाभान्वित किसान: 6,225
- जल संग्रहण: 35,100 घन मीटर
- आयाम: 6,500 मी x 3 मी x 1.8 मी

भोजपुर जिले के सहर ब्लॉक में कनपहरी और पातालपुरा आहर-पाइन का नवीकरण

- खेती योग्य कमान क्षेत्र: 60 हेक्टेयर
- लाभान्वित किसान: 700
- जल संग्रहण: 46,200 घन मीटर
- आयाम: 1,750 मी x 12 मी x 2.2 मी

अ. संधारणीय विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के साथ समगति

एसडीजी 1: गरीबी उन्मूलन

एसडीजी 2: भुखमरी से मुक्ति

एसडीजी 8: सम्मानजनक रोजगार और आर्थिक विकास

एसडीजी 10: असमानता कम करना

एसडीजी 13: जलवायु परिवर्तन - गतिविधियाँ

आ. संदर्भ

'आहर-पाइन' दक्षिण बिहार के मैदानी क्षेत्र की एक देशी सिंचाई प्रणाली है जिसके अंतर्गत सिंचाई संबंधी कार्यों के लिए बाढ़ के पानी को उपयोग में लाया जाता है. 'आहर' एक आयताकार जल संचयन संरचना, अर्थात् एक जलग्रहण बेसिन होता है जो तीन ओर से तटबंधित होता है, और उसकी चौथी ओर प्राकृतिक ढलान होती है. 'आहरों' में नदी के पानी को रोकने के लिए नदी से निकाले गए प्रवाहों को 'पाइन' कहते हैं. आहर में जल आपूर्ति या तो प्राकृतिक जल निकासों से या वर्षा के बाद पाइन के माध्यम से होती है. तटबंधों में अलग-अलग ऊँचाई पर निकास बनाकर सिंचाई के लिए पानी लिया जाता है.

इ. चुनौतियों का समाधान

आरआईडीएफ़ के माध्यम से सिंचित क्षेत्र में वृद्धि, भूमिगत जल के पुनर्भरण, और मृदा की नमी में वृद्धि हेतु 70-80 वर्ष पुरानी इन सिंचाई संरचनाओं के नवीकरण के लिए सहायता प्रदान की गई है.

ई. परियोजना घटक

तटबंधों की सुरक्षा, स्टेप प्रोटेक्शन, पुलिया, स्पिल-वे, शीर्ष नियंत्रण, आदि.

उ. उपलब्धियाँ >>परिणाम>>प्रभाव (अपेक्षित)

यह अपेक्षित है कि आहरों' में गाद हटाने तथा उन्हें और अधिक गहरा करने की प्रक्रिया तट की सुरक्षा के साथ-साथ जल भंडारण क्षमता को बढ़ाएगी और वर्ष के दौरान कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए पर्याप्त जल प्रदान करेगी. इस प्रकार, ये परियोजनाएँ वर्षा जल संचयन और संधारणीय सिंचाई के माध्यम से जल संरक्षण में सहायता प्रदान करेंगी.

- मंजूर आरआईडीएफ ऋण: ₹236.5 करोड़
- संवितरित आरआईडीएफ ऋण: ₹125.7 करोड़
- आहर पाइन की कुल संख्या: आरआईडीएफ खेप XXVII के तहत 308, जिनमें से 227 पूरे किए जा चुके हैं
- कृषि-योग्य कमान क्षेत्र: 37,433 हेक्टेयर
- लाभान्वित ग्रामीण जनसंख्या: 4.8 लाख
- सृजित अनावर्ती रोजगार: 49.8 लाख श्रम दिवस

आरआईडीएफ से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के प्रभावों पर किए गए मूल्यांकन अध्ययनों से न केवल कृषि उत्पादकता और किसानों की आय में वृद्धि का पता चला है, बल्कि यह भी ज्ञात हुआ है कि इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन से इनसे संबन्धित क्षेत्रों में ऋण की माँग बढ़ी, ऋण वितरण में विविधीकरण आया, जमाराशियों में वृद्धि हुई और शाखाओं का नेटवर्क बढ़ा जिससे वित्तीय समावेशन में भी वृद्धि हुई. वित्तीय वर्ष 2023 के दौरान एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया (एएससीआई), हैदराबाद ने राजस्थान, कर्नाटक और केरल में आरआईडीएफ से सहायता प्राप्त सामाजिक क्षेत्र की परियोजनाओं के प्रभाव की जाँच करने के लिए एक अध्ययन किया है. (बॉक्स 5.1).

बॉक्स 5.1: ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि के अंतर्गत सामाजिक क्षेत्र की परियोजनाओं का प्रभाव

1. आँगनवाड़ी केंद्रों (एडब्ल्यूसी) के निर्माण से बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को अपने इलाके में पौष्टिक भोजन, दवाइयों और टीकाकरण तक बेहतर पहुँच प्राप्त हुई (पूर्व में ये किराए की इमारतों में संचालित थे जहाँ अच्छी सुविधाएँ उपलब्ध नहीं थीं). आँगनवाड़ी केंद्र की स्थापना से ऐसी सेवाओं के लिए लाभार्थियों को दूर के केंद्रों तक नहीं जाना पड़ता है और उन्हें यात्रा और भोजन पर खर्च नहीं करना पड़ता है.
2. पड़ोस में सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाओं तक पहुँच से न केवल बीमारियों की घटनाओं में कमी आई बल्कि ग्रामीण निर्धनों द्वारा निजी स्वास्थ्य संस्थाओं पर खर्च में कमी आई.
3. ग्रामीण शैक्षणिक संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण से कक्षा/ कार्यशाला सुविधाओं में वृद्धि हुई तथा महँगे और दूरस्थ निजी स्कूलों में जाने की आवश्यकता में कमी आई. आधुनिक शिक्षा से सशक्त होकर ग्रामीण छात्र अब उच्च अध्ययन, कौशल विकास और बेहतर नौकरियों की आकांक्षा रखते हैं. इस प्रकार हाशिए पर रहने वाले वर्गों के बच्चों को औपचारिक शिक्षा प्रणाली की मुख्यधारा में लाया जा रहा है.
4. ग्रामीण पेयजल परियोजनाओं के परिणामस्वरूप विश्व स्वास्थ्य संगठन के गुणवत्ता और मात्रा संबंधी मानकों के अनुरूप पेयजल उपलब्ध हुआ है जिससे जल-जनित बीमारियों में कमी आई और दूर-दूर से पानी भरकर लाने की मेहनत कम हुई.

स्रोत: वित्तीय वर्ष 2023 में एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया, हैदराबाद द्वारा राजस्थान, कर्नाटक और केरल में आरआईडीएफ से सहायता प्राप्त सामाजिक क्षेत्र की परियोजनाओं के प्रभाव की जाँच के लिए किए गए अध्ययन के निष्कर्ष.

5.2.3 वित्तीय वर्ष 2023 के दौरान नई पहलें

नाबार्ड ने भारत सरकार की अग्रणी योजनाओं में राज्य के हिस्से के रूप में योगदान दिया जिसके अंतर्गत आरआईडीएफ खेप XXVIII जल जीवन मिशन के तहत ₹4,734 करोड़ की परियोजनाओं को और से पीएम-कुसुम योजना के तहत ₹1,752 करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई. इसके अलावा, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के शमन में राज्य सरकारों को सहयोग प्रदान करने हेतु ₹314 करोड़ की नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को मंजूरी दी गई.

5.3 ग्रामीण आधारभूत संरचना संवर्धन निधि

ग्रामीण आधारभूत संरचना संवर्धन निधि (आरआईपीएफ) के माध्यम से विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में क्षमता-निर्माण पहलों और अंतिम सिरे के लाभार्थियों को

लाभान्वित करने वाली नवोन्मेषी, प्रायोगिक, या संवर्धनात्मक आधारभूत संरचना के निर्माण को प्रोत्साहन दिया जाता है. 31 मार्च 2023 तक, आरआईपीएफ के तहत मंजूर की गई संचयी राशि ₹75.2 करोड़ थी और संवितरित राशि ₹49.4 करोड़ थी. शोकेस 5.3 में कुल्लू, हिमाचल प्रदेश के महिला कल्याण मंडल द्वारा आरआईपीएफ की सहायता से कार्यान्वित परियोजना की जानकारी दी गई है.

5.4 दीर्घावधि सिंचाई निधि

5.4.1 दायरा

मध्यम और बड़े आकार की 99 चयनित सिंचाई परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए वित्तीय वर्ष 2017 के केंद्रीय बजट में दीर्घावधि सिंचाई निधि (एलटीआईएफ़) की घोषणा की गई थी. ये परियोजनाएँ 18 राज्यों में अवस्थित हैं. इसके बाद, 4 अन्य परियोजनाओं, नामतः आंध्र प्रदेश में पोलावरम परियोजना, बिहार और झारखंड में उत्तरी कोयल परियोजना, सरहिंद और राजस्थान फीडरों की रीलाइनिंग और पंजाब में शाहपुर कंडी बाँध को दीर्घावधि सिंचाई निधि(एलटीआईएफ़) के दायरे में शामिल किया गया. वित्तीय वर्ष 2021 के दौरान, नाबार्ड ने केंद्र के हिस्से के लिए, भारत सरकार की एसपीवी (विशेष प्रयोजन माध्यम) - राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी - को ऋण दिया है, साथ ही राज्य का हिस्सा इच्छुक राज्य सरकारों को दिया गया है. ऋण की अवधि 15 वर्ष है. अब तक, 13 राज्यों ने नाबार्ड से निधि सहायता प्राप्त करने के लिए समझौता ज्ञापन का निष्पादन कर दिया है.

शोकेस 5.3 केबल रोपवे से ग्रामीण संपर्क में सुधार, हिमाचल प्रदेश

अ. स्थान

ग्राम - पलालंग और मथाला, पंचायत - ब्राह्मण, लाग घाटी, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

आ. परियोजना

कृषि उत्पादों के सुचारू परिवहन के लिए 10 हॉर्स पावर के इंजनों, चरखी (पुली) आदि के साथ दो डीज़ल स्पैन (रोपवे) की स्थापना.

इ. परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी

महिला कल्याण मण्डल, कुल्लू

ई. सहायता

₹10 लाख

उ. लाभार्थी

दो गाँवों में 350 व्यक्ति

ऊ. चुनौतियाँ

गाँवों में खेती ही प्रमुख व्यवसाय है परंतु यातायात के उचित साधनों का अभाव अत्यंत गंभीर समस्या है. पलालंग और मथाला गाँवों के बीच सड़क नहीं थी. कृषि उत्पादों के विपणन/ बिक्री के लिए गाँव से राजमार्ग तक ये सामान खुद उठाकर अथवा टट्टुओं पर लादकर ले जाते थे.

ए. उपलब्धियाँ>>परिणाम>>प्रभाव

कृषि उत्पाद को सुविधाजनक रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है जिससे समय, परिश्रम तथा मानवीय और/ अथवा पशु श्रम की लागत में बचत होती है. इससे व्यवसाय की सुगमता में भी सुधार हुआ.

5.4.2 कार्यनिष्पादन

31 मार्च 2023 तक, केंद्र के हिस्से के रूप में ₹46,495.9 करोड़ की राशि मंजूर की गई है, जिसमें से ₹26,500.6 करोड़ की राशि का संवितरण हो चुका है. इस प्रकार, राज्यों के हिस्से के रूप में ₹38,792.5 करोड़ की राशि मंजूर की गई है, जिसमें से ₹32,245.2 करोड़ की राशि का संवितरण हो चुका है.

वित्तीय वर्ष 2022 से एलटीआईएफ से त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) से जुड़ी 60 जारी परियोजनाओं और कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन (सीएडी एंड डब्ल्यूएम) कार्यक्रम के तहत और 85 (99 में से) बड़ी/ मध्यम सिंचाई परियोजनाओं में राज्य के हिस्से की राशि के लिए ऋण प्रदान किए हैं, जिनके लिए भारत सरकार से 2% की ब्याज सहायता प्रदान की जाती है. केंद्र सरकार के हिस्से की निधीयन आवश्यकताओं की पूर्ति केंद्रीय बजटीय संसाधनों के माध्यम से की जाती है.

5.4.3 उपलब्धियाँ>>परिणाम>>प्रभाव

31 मार्च 2023 तक, 99 परियोजनाओं में से 53 परियोजनाओं के एआईबीपी घटक और 16 परियोजनाओं के सीएडी एंड डब्ल्यूएम घटक पूरे किए जा चुके हैं. 2016-2022[2] के दौरान एलटीआईएफ सहायता के माध्यम से 34.6 लाख हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता के संवर्धन का लक्ष्य रखा गया था जिसमें से 24.4 लाख हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता प्राप्त की जा चुकी है.

5.5 लघु-सिंचाई निधि

वित्तीय वर्ष 2020 के केंद्रीय बजट में की गई घोषणा के अनुसार सूक्ष्म सिंचाई निधि (एमआईएफ़) का परिचालन वित्तीय वर्ष 2020 से नाबार्ड में ₹5000 करोड़ की प्रारंभिक मूल निधि के साथ किया गया था (वित्तीय वर्ष 2020-2023). इसका प्रयोजन अधिकाधिक क्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने में राज्य सरकारों को सहायता देना और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - प्रति बूँद अधिक फसल के प्रावधानों से इतर भी उसे अपनाने के लिए प्रोत्साहन देना था (चित्र 5.4). वर्तमान में भारत सरकार द्वारा एमआईएफ की मूलनिधि में ₹5,000 करोड़ की वृद्धि करने तथा उसका कार्यान्वयन वित्तीय वर्ष 2026 तक करने पर विचार किया जा रहा है.

चित्र 5.4: सूक्ष्म सिंचाई निधि के अंतर्गत निष्पादन तथा उपलब्धियाँ - 31 मार्च 2023 की स्थिति

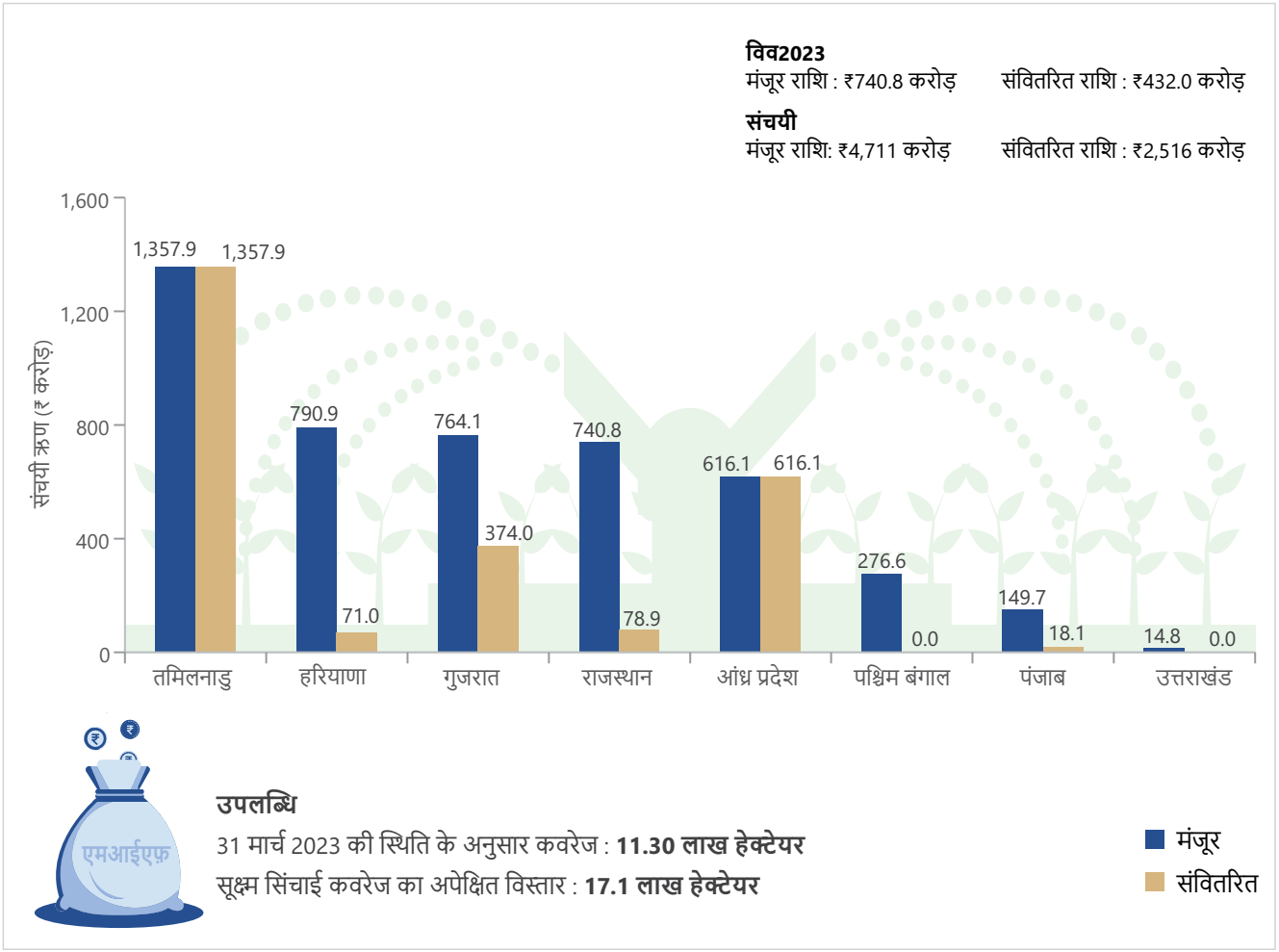

नोट: हेक्टे. = हेक्टेयर

5.6 नाबार्ड आधारभूत संरचना विकास सहायता

5.6.1 दायरा और निष्पादन

नाबार्ड आधारभूत संरचना विकास निधि (नीडा) के अंतर्गत राज्य सरकारों और सार्वजनिक क्षेत्र की सुप्रबंधित संस्थाओं को ग्रामीण आधारभूत संरचना के वित्तपोषण हेतु परिवर्तनीय दीर्घावधि ऋण प्रदान किए जाते हैं. नीडा के माध्यम से नाबार्ड प्रमुख आधारभूत संरचनाओं के निर्माण में अपना योगदान दे रहा है और ग्रामीण क्षेत्रों की जीवनशैली में सुधार ला रहा है. नीडा के अंतर्गत कृषि आधारभूत संरचनाओं, ग्रामीण संपर्क, नवीकरणीय ऊर्जा, विद्युत पारेषण, पेयजल और स्वच्छता और अन्य सामाजिक और वाणिज्यिक आधारभूत संरचनाओं के लिए परियोजनाओं को वित्तपोषित किया जा रहा है. इस निधि से निधीयन की संभावनाओं को और व्यापक रूप देते हुए सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) और कॉर्पोरेटों/ कंपनियों, सहकारी संस्थाओं, जैसी पंजीकृत संस्थाओं द्वारा कार्यान्वित गैर-पीपीपी परियोजनाओं को इसमें शामिल किया गया है (चित्र 5.5).

5.6.2 उपलब्धियाँ>> परिणाम>> प्रभाव

नीडा के माध्यम से बेहतर स्वच्छता और जल की सुनिश्चित आपूर्ति उपलब्ध हुई है जिसका गहरा सामाजिक-आर्थिक प्रभाव पड़ा है. इसके अंतर्गत निर्मित आधारभूत संरचनाओं से व्यापक परिणाम प्राप्त हुए हैं जिनमें बाल कुपोषण और बाल मृत्यु दर में कमी से लेकर स्कूलों में लड़कियों के नामांकन के अनुपात में वृद्धि शामिल है. संधारणीय विकास लक्ष्य (एसडीजी) 6 (स्वच्छ जल और सफाई) की प्राप्ति में भी इनका सक्रिय योगदान रहा है. (चित्र 5.6)

चित्र 5.5: नाबार्ड आधारभूत संरचना विकास सहायता का कार्यनिष्पादन - 31 मार्च 2023 तक

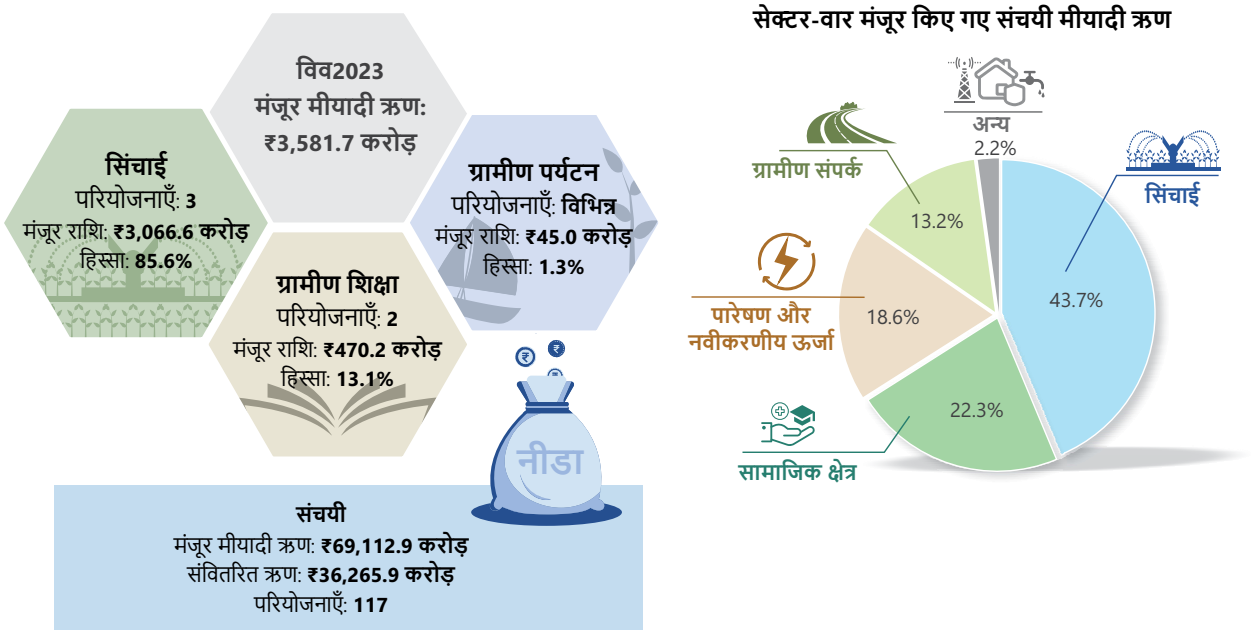

नोट: 1. सामाजिक क्षेत्र में स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण आवासन, ग्रामीण पर्यटन और पेयजल शामिल है.
2. अन्य में संचार, भंडारण, नालियाँ और वाटरशेड विकास शामिल है.

चित्र 5.6: नाबार्ड आधारभूत संरचना विकास सहायता के तहत उपलब्धियाँ - 31 मार्च 2023 की स्थिति

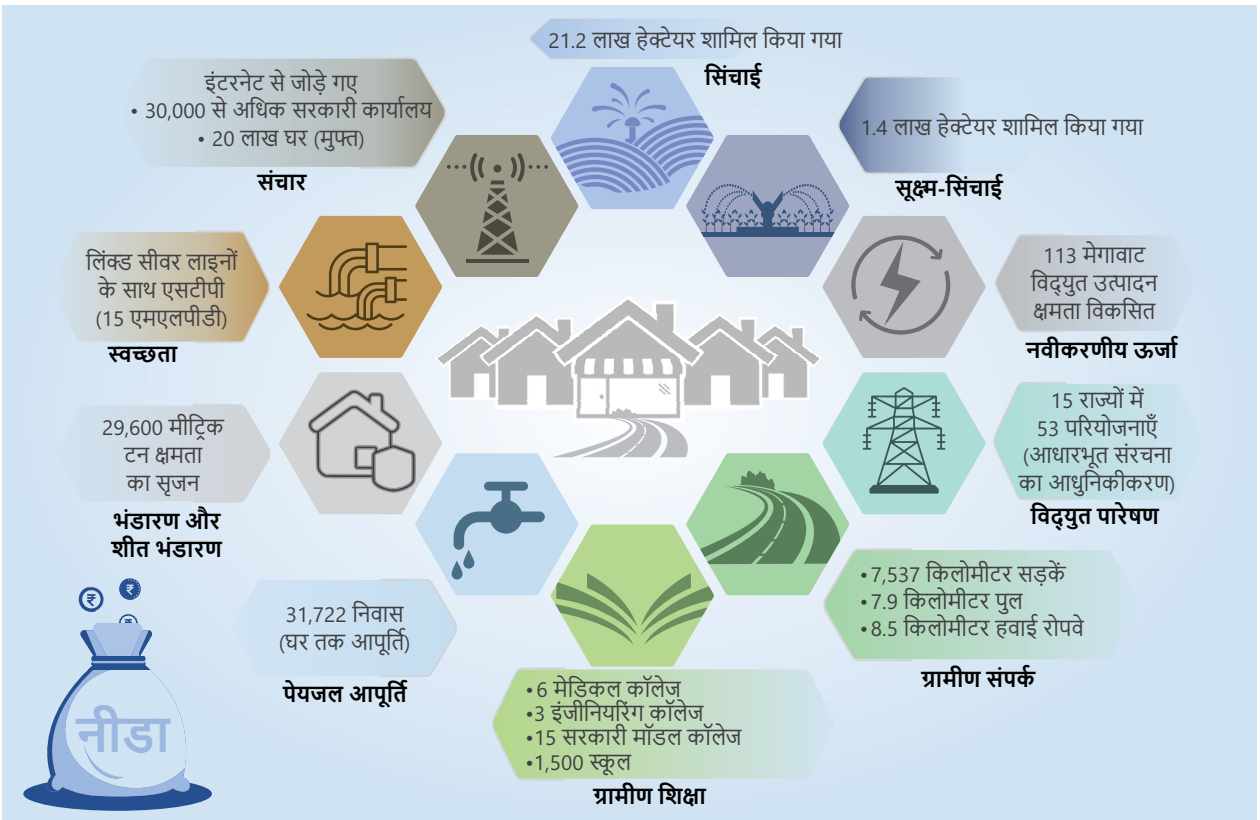

नोट
1. हेक्टे. = हेक्टेयर, किमी = किलोमीटर, एमएलपीडी = मिलियन लीटर प्रति दिन, एमटी = मीट्रिक टन, एमडब्ल्यू = मेगावाट, एसटीपी = सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट.
2. ग्रामीण शिक्षा के लिए निधि का उपयोग प्राथमिक रूप से स्कूलों और कॉलेजों के निर्माण और उन्नयन के लिए किया गया.

5.7 फसलोपरांत आधारभूत संरचना

नाबार्ड कृषि उत्पादों के लिए समय, स्थिति, और अधिकार संबंधी उपयोगिता का निर्माण करने और उत्पादकों के लिए मूल्य का निर्माण करने के लिए निवेशों को बढ़ावा देता रहा है. ऐसे निवेश उपभोक्ता की रुचियों और आवश्यकताओं को संतुष्ट करते हुए शेल्फ-लाइफ को बढ़ाने, अपव्यय को घटाने, और उत्पाद की क्षति को न्यूनतम रखने में सहयोग देते हैं.

5.7.1 भंडारागार आधारभूत संरचना निधि

भंडारागार क्षमता के व्यवस्थित विकास के लिए नाबार्ड राज्य सरकारों, राज्य अधिकृत एजेंसियों, और कोर्पोरेटों को भंडारागार आधारभूत संरचना निधि के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करता है ताकि कृषि में मूल्य श्रृंखलाओं के निर्माण के लिए सहायता उपलब्ध कराई जा सके. इस निवेश के परिणामस्वरूप किसान परक्राम्य भंडारागार रसीदों के माध्यम से वित्त प्राप्त कर सकते हैं. 1950 से खाद्यान्न उत्पादन में छह गुना से अधिक की वृद्धि हुई है और भविष्य में इसके और अधिक बढ़ने का अनुमान है. बढ़ते उत्पादन हेतु भंडारण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए वर्तमान दशक के दौरान भंडारण क्षेत्र में निवेश की माँग बनी रहेगी.

डब्ल्यूआईएफ के तहत मंजूरी और संवितरण, और उसका क्षेत्रीय विस्तार क्रमशः तालिका 5.1 और चित्र 5.7 में दिया गया है.

चित्र 5.7: 31 मार्च 2023 की स्थिति में भंडारागार आधारभूत संरचना निधि का क्षेत्र-वार निष्पादन

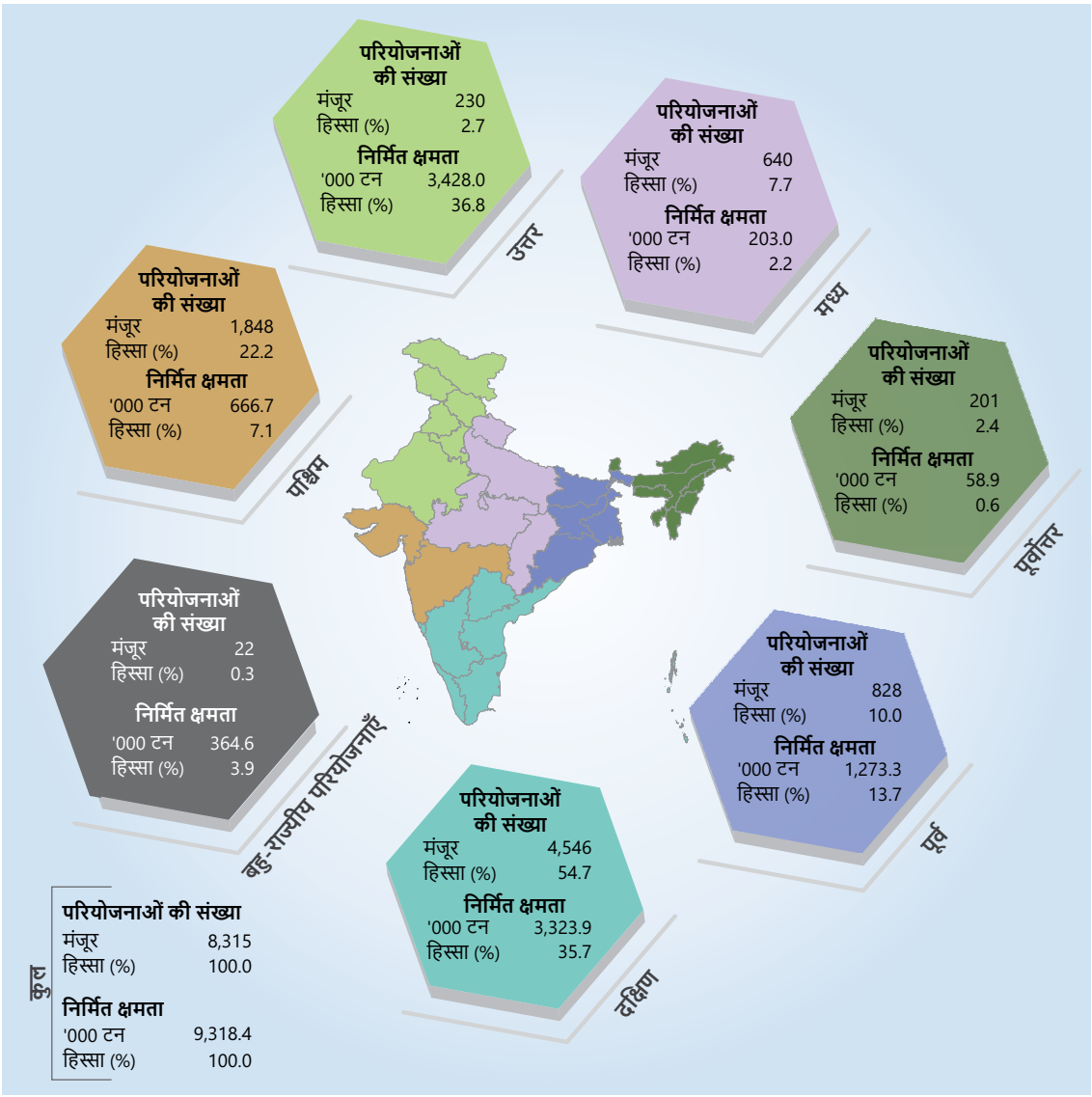

तालिका 5.1: भंडारागार आधारभूत संरचना निधि के अंतर्गत मंजूरी और संवितरण - 31 मार्च 2023 की स्थिति में (₹ करोड़ में)

खेप	*आबंटन*	*मंजूरी*	*संवितरण*
डब्ल्यूआईएफ़ 2013–14	4,481	4,453.3	3,906.1
डब्ल्यूआईएफ़ 2014–15	5,000	4,999.9	4,768.3
कुल	**9,481**	**9,453.2**	**8,674.4**

नोट्स:

1. डब्ल्यूआईएफ़=भंडारागार आधारभूत संरचना निधि
2. डब्ल्यूआईएफ़ = 2013-14 के अंतर्गत ₹5000 करोड़ की मूलनिधि में से ₹519 करोड़ वाणिज्यिक बैंकों को वापस किए गए.

वैज्ञानिक भंडारण किसानों को अपनी उपज की मजबूरन बिक्री से बचने का अवसर प्रदान करता है, इससे वे अलग-अलग समय पर अपनी उपज की बिक्री कर उसका बेहतर मूल्य प्राप्त कर सकते हैं. किसान उपज की बिक्री लंबित रहने की स्थिति में परक्राम्य भंडारण रसीदों के आधार पर फसलोपरांत ऋण भी प्राप्त कर सकते हैं. किसानों के लिए भंडारण क्षमता बढ़ाने हेतु नाबार्ड के प्रयत्नों का विवरण बॉक्स.5.2 और चित्र 5.8 में रेखांकित किया गया है.

बॉक्स 5.2: सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी खाद्यान भंडारण योजना

भारत सरकार का सहकारिता मंत्रालय सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी विकेंद्रीकृत खाद्यान भंडारण सुविधा के नेटवर्क के सृजन पर विचार कर रहा है जिसमें जमीनी स्तर की सहकारी संस्थाओं के स्तर पर भंडारागारों की स्थापना की जाएगी. इस प्रायोगिक परियोजना में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों हेतु भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं की सहगति के माध्यम से अधिप्राप्ति केंद्रों, कस्टम हायरिंग केंद्रों, प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्रों सहित अन्य कृषि-आधारभूत संरचना के साथ-साथ गोदाम और साइलोज़ सहित अनाज भंडारण आधारभूत संरचना की स्थापना शामिल है. यह प्रायोगिक परियोजना इस योजना के भावी विस्तार का मार्ग निर्धारित करेगी जिसमें फ़सलोत्तर नुकसान को (मौजूदा 6%) कम करना, एकाधिक हैंडलिंग और परिवहन की लागतों में भारी कमी लाना, किसानों द्वारा मजबूरन बिक्री को रोकना, भारतीय खाद्य निगम/ राज्य सरकारों द्वारा विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति और हब-एंड-स्पोक मॉडल पर आधारित भंडारण शामिल है.

नाबार्ड ने इस प्रायोगिक परियोजना के कार्यान्वयन की शुरुआत 11 राज्यों के 11 चयनित जिलों में की है. तत्पश्चात इस योजना को पूरे भारत में कार्यान्वित किया जाएगा.

चित्र 5.8: 31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार भंडारागार आधारभूत संरचना निधि के अंतर्गत उपलब्धि

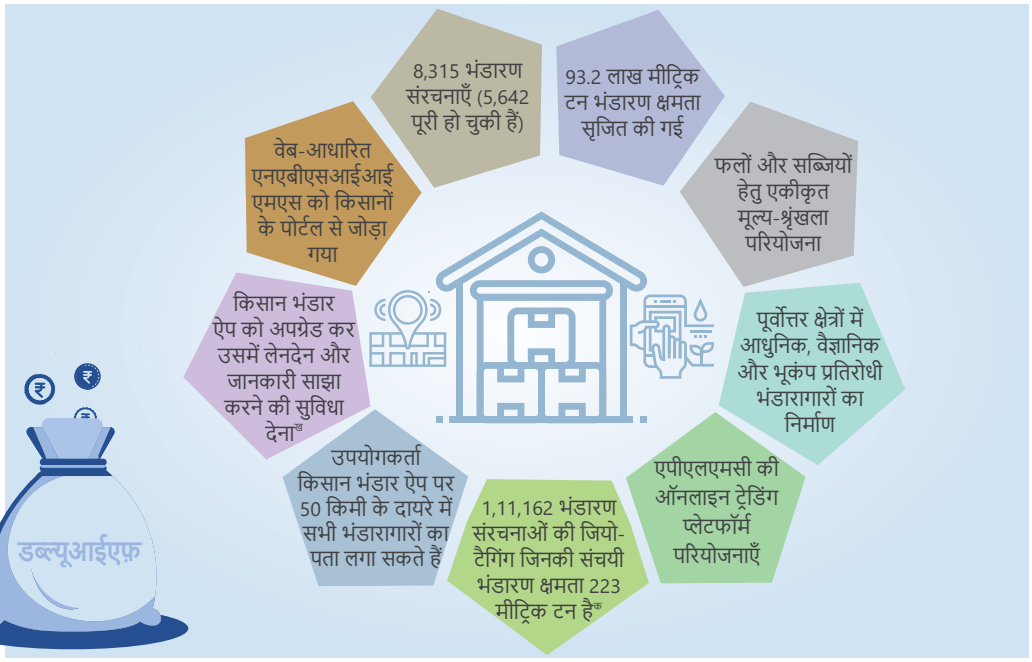

क. इन भंडारण संरचनाओं की जियो-टैगिंग की गई है तथा उन्हें केंद्रीकृत डेटाबेस के साथ जोड़ा गया है जिसे एक एकीकृत पोर्टल बनाने हेतु ई-एनएएम जैसे अन्य प्लेटफार्मों के साथ पोर्ट किया जा सकता है.

ख. इस ऐप को और विकसित किया जा रहा है ताकि इससे किसान कृषि-भंडारण आधारभूत संरचनाओं में जगह की उपलब्धता जान सकें, बुकिंग और भुगतान सुविधाओं में सुधार हो और अन्य वेबसाइट/ऐप जैसे भुगतान गेटवे, बैंक की शाखा की अवस्थिति इत्यादि के साथ एकीकरण किया जा सके.

नोट: एपीएलएमसी= कृषि उत्पाद और पशुधन विपणन समिति, ई-एनएएम= ई-राष्ट्रीय कृषि बाज़ार, किमी= किलोमीटर, एमटी= मीट्रिक टन, एनएबीएसआईआईएमएस= नाबार्ड भंडारण आधारभूत संरचना सूचना मायग्रेंट प्रणाली, एनईआर = पूर्वोत्तर क्षेत्र.

5.7.2 खाद्य प्रसंस्करण निधि

भारत का खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र दुनिया के सबसे बड़े खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों में से एक है जिसका वित्तीय वर्ष 2026 तक अनुमानित उत्पादन $535 बिलियन है.[3] भारत में प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की बढ़ती माँग के अनुरूप, नाबार्ड ने 2014 से (वित्तीय वर्ष 2023 तक) पूर्वोत्तर के तीन राज्यों (असम, मणिपुर और मेघालय) सहित 17 राज्यों में अवस्थित परियोजनाओं के लिए ₹1,126.6 करोड़ की प्रतिबद्धता जाहिर की है. नाबार्ड की खाद्य प्रसंस्करण निधि (एफपीएफ) की खाद्य पदार्थों की बर्बादी को कम करने, मूल्य वर्धन करने तथा विविधता लाने और किसानों को ग्राहकों से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका है (चित्र 5.9).

चित्र 5.9: खाद्य प्रसंस्करण निधि के अंतर्गत निष्पादन और उपलब्धियाँ - 31 मार्च 2023 की स्थिति

नोट: आईक्यूएफ़= इंडिवीज्युअली क्विक फ्रोजन,
एमटी= मीट्रिक टन

5.8 अन्य आधारभूत संरचना पहलें

5.8.1 डेयरी प्रसंस्करण और आधारभूत संरचना विकास निधि

डेयरी प्रसंस्करण और आधारभूत संरचना विकास निधि (डीआईडीएफ़) का गठन ₹8,004 करोड़ की प्रारंभिक कॉर्पस के साथ नाबार्ड में वित्तीय वर्ष 2018 में किया गया था और इसकी कार्यान्वयन अवधि वित्तीय वर्ष 2023 तक की रखी गई थी. इसके गठन का उद्देश्य था दुग्ध प्रसंस्करण सुविधाओं का निर्माण और आधुनिकीकरण करना तथा डेयरी से संबंधित अन्य आधारभूत संरचना का विकास करना (चित्र: 5.10).

5.8.2 मत्स्यपालन और जलचर पालन आधारभूत संरचना विकास निधि

वित्तीय वर्ष 2019 के केंद्रीय बजट में अपनी घोषणा के अनुरूप, भारत सरकार ने विभिन्न मत्स्यपालन आधारित आधारभूत संरचना गतिविधियों के लिए राज्य सरकारों/ केंद्र शासित प्रदेशों के माध्यम से सार्वजनिक आधारभूत संरचना के घटकों को वित्तपोषित करने के लिए मत्स्यपालन और जलचर पालन आधारभूत संरचना विकास निधि की स्थापना की. इसकी नोडल ऋण इकाई के रूप में नाबार्ड ने 12 राज्य सरकारों/ केंद्र शासित प्रदेशों के साथ त्रिपक्षीय करार ज्ञापन निष्पादित किया है (चित्र 5.11).

चित्र 5.10: डेयरी प्रसंस्करण और आधारभूत संरचना विकास निधि के अंतर्गत निष्पादन और उपलब्धि - 31 मार्च 2023 की स्थिति

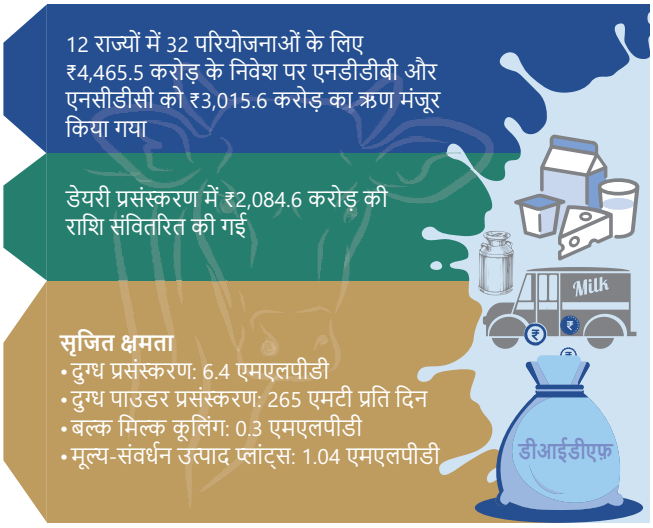

नोट: एमएलपीडी= मिलियन लीटर प्रति दिन, एमटी= मीट्रिक टन, एनसीडीसी = राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, एनडीडीबी= राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड

चित्र 5.11: मत्स्यपालन और जलचर पालन आधारभूत संरचना विकास निधि के अंतर्गत निष्पादन और उपलब्धियाँ - 31 मार्च 2023 स्थिति

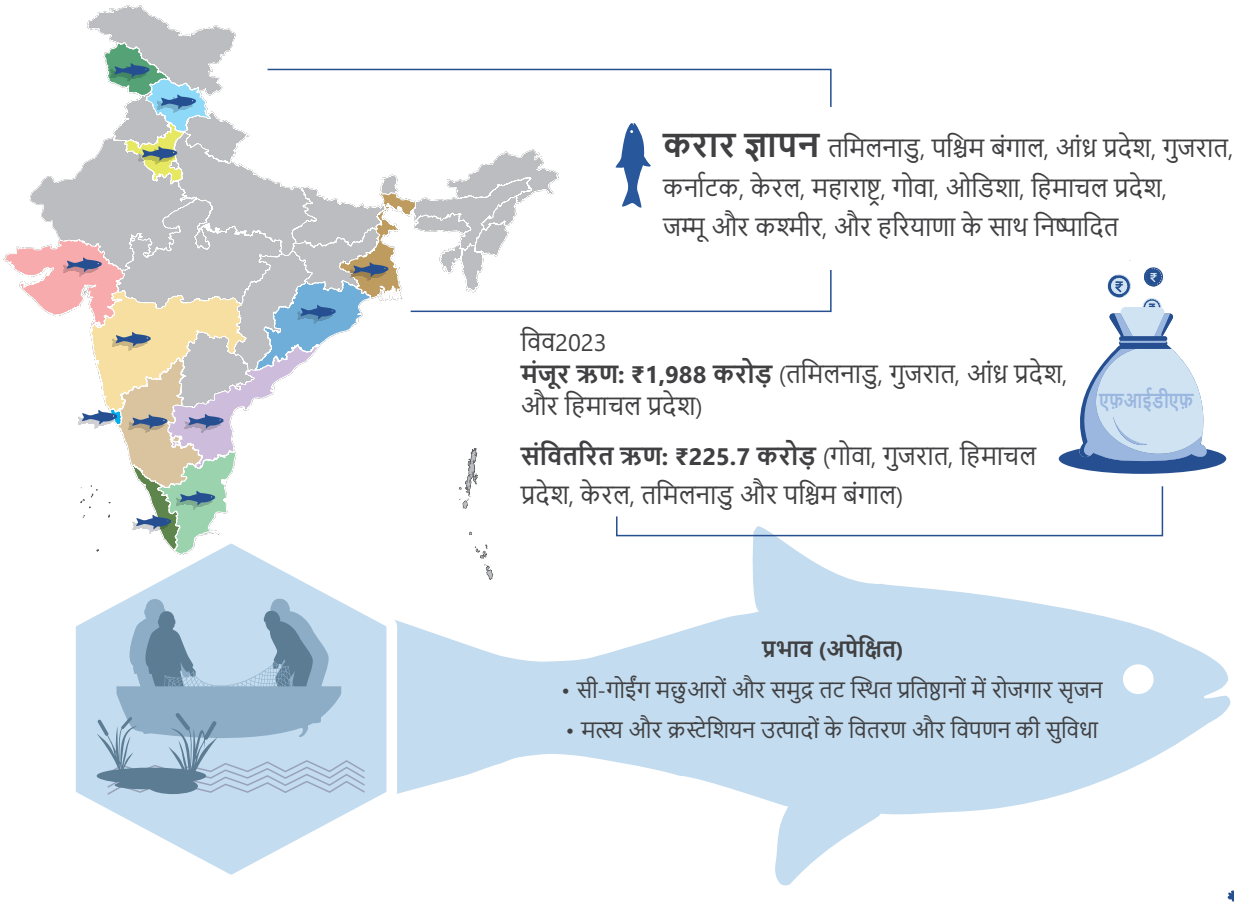

5.8.3 प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण

भारत सरकार ने 1 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) की शुरुआत की जिसका उद्देश्य था '2022 तक सभी के लिए घर' कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब और बेघर तथा/ अथवा जर्जर मकानों में रहने वाले लोगों के लिए बिजली, शुद्ध पेयजल, शौचालय और रसोई गैस जैसी बुनियादी सुविधाओं से युक्त पक्का घर प्रदान करना. पीएमएवाई-जी के अंतर्गत, वित्तीय वर्ष 2018 से वित्तीय वर्ष 2021 तक केंद्र के हिस्से के आंशिक निधीयन के रूप में नाबार्ड ने भारत सरकार के विशेष प्रयोजन साधन (एसपीवी) - राष्ट्रीय ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास एजेंसी - को ऋण प्रदान किया है. पीएमएवाई-जी के अंतर्गत संचयी मंजूरी ₹61,975 करोड़ तथा संचयी संवितरण ₹48,819 करोड़ रहा. नाबार्ड द्वारा पीएमएवाई-जी के अंतर्गत जारी किए गए ऋणों के माध्यम से 31 मार्च 2022[4] तक 1.8 करोड़ घरों का निर्माण किया गया.

5.8.4 स्वच्छ भारत मिशन- ग्रामीण

स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण के अंतर्गत सर्वत्र स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने और ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच को समाप्त करने के प्रयासों में तेजी लाने हेतु नाबार्ड ने वित्तीय वर्ष 2019 और वित्तीय वर्ष 2020 के दौरान भारत सरकार के एसपीवी - राष्ट्रीय पेयजल, स्वच्छता और गुणवत्ता केंद्र - को इस योजना के अंतर्गत केंद्र के हिस्से के आंशिक निधीयन हेतु ऋण प्रदान किया है. 31 मार्च 2020 की स्थिति में, संचयी मंजूरी और संवितरण क्रमशः ₹15,000 करोड़ और ₹12,298.2 करोड़ था.

5.9 तीव्र गति से विकास हेतु आधारभूत संरचना का वित्तपोषण

भारत के विकास की गाथा के लिए भौतिक और डिजिटल आधारभूत संरचना के बीच तालमेल महत्वपूर्ण होगा. वित्तीय साक्षरता, नवोन्मेष, उद्यमिता और रोजगार सृजन में वृद्धि के लिए भारत की डिजिटल आधारभूत संरचना की क्षमता का उपयोग करने की आवश्यकता है. पिछले 3 दशकों में नाबार्ड ने ऐसी गुणवत्तापूर्ण आधारभूत संरचना में निवेश को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया है जो संधारणीय, आघात-सह और समावेशी हो. नई आधारभूत संरचना का निर्माण करना और मौजूदा ग्रामीण आधारभूत संरचना को उन्नत करना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए महत्वपूर्ण होगा. यह पाँच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था और एक ट्रिलियन डॉलर की ग्रामीण अर्थव्यवस्था तथा वर्ष 2030 तक संधारणीय विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में मददगार हो सकता है. इस दिशा में निधीयन प्रक्रिया हेतु सहायक उपाय हैं - केंद्र और राज्य द्वारा बजटीय आबंटन में वृद्धि; पेंशन और बीमा निधियों का विनियोजन; नाबार्ड द्वारा आरआईडीएफ, एनआईडीए और ग्रामीण आधारभूत संरचना सहायता के अंतर्गत राज्य सरकारों का वित्तपोषण; और अन्य उपाय, जैसे- व्यवहार्यता अंतर निधीयन, सार्वजनिक-निजी भागीदारी, आस्तियों का मुद्रीकरण, टेक-आउट वित्तपोषण, राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक (नैबफ़िड) के साथ सहयोग, आदि. इसके अलावा, नाबार्ड ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए अनाज भंडारण, जलमार्ग जैसी नई आधारभूत संरचना परियोजनाओं की सहायता करने हेतु प्रत्यक्ष आधारभूत संरचना वित्तपोषण में तेजी लाने पर ध्यान केंद्रित करेगा.

नोट्स

1. आधारभूत संरचना एक समावेशी/ व्यापक शब्द है जिसमें उत्पादन प्रक्रिया हेतु आवश्यक सभी 'मूलभूत' सेवाएँ जैसे परिवहन, सिंचाई, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाएँ शामिल हैं, जिन्हें सामान्यतः 'सामाजिक अधिदाय पूँजी (सोशल ओवरहेड कैपिटल)' कहा जाता है.
2. जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा साझा की गई सूचना.
3. http: // www.ibef.org/blogs/growth- opportunities-for-the-food-processing-industry-in-india.
4. https://pmayg.nic.in/netiayHome/home.aspx